

समनुदेशन की सूचना

(बीमा अधिनियम १९३८ की धारा ३८ के अंतर्गत)

पॉलिसी धारक का नाम	:	_____
पॉलिसी संख्या	:	_____
तारीख	:	_____
संपर्क नम्बर	:	_____
ईमेल पता	:	_____

मैं, _____ जीवन बीमा पॉलिसी संख्या _____ का धारक, जिसे एगोन लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) द्वारा जारी किया गया है, एतद्वारा पूर्णतया उक्त पॉलिसी के अंतर्गत समनुदेशिती के पक्ष में सभी अधिकार और लाभ समनुदेशित करता/करती हूँ।

(या)

मैंने इस शर्त पर पॉलिसी को समनुदेशिती को समनुदेशित कर दिया है कि उक्त पॉलिसी फिर से मेरे नाम हो जाएगी, यदि निम्नलिखित घटित होता है क. _____
ख. _____

समनुदेशन के कारण :

- पॉलिसी को रूपये _____ (मूल्यवान प्रतिफल) के बदले में समनुदेशित किया गया है जिसे मैंने समनुदेशिती से प्राप्त किया है, या
- पॉलिसी को स्वभाविक स्नेह और प्रीति वश _____ को समनुदेशित किया गया है (पॉलिसी धारक के साथ रिश्ते का उल्लेख करें)
- पॉलिसी को बिना किसी प्रतिफल की प्राप्ति के _____ के कारण समनुदेशिती को समनुदेशित किया गया है।

मैंने यह जान लिया है कि समनुदेशन इस पृष्ठांकन के निष्पादन पर पूर्ण और प्रभावी होगा लेकिन यह कम्पनी के विरुद्ध तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि इस समनुदेशन के लिखित नोटिस और या उक्त पृष्ठांकन या स्वयं पॉलिसी या उसकी प्रति जिसे समनुदेशक तथा समनुदेशिती द्वारा सही प्रमाणित साबित किया जाता है या उनके विधिवत प्राधिकृत एजेंट द्वारा ऐसा किया जाता है, को कम्पनी के निर्दिष्ट कार्यालय में डिलीवर नहीं कर दिया जाता है।

मैं एतद्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ इस पॉलिसी के अंतर्गत समनुदेशिती द्वारा लाभों की प्राप्ति कम्पनी के लिए मान्य और पर्याप्त उन्मोचन होगी।

दिनांक _____ को _____ (स्थान) पर निष्पादित.

नोट: यदि समनुदेशिती अवयस्क है, तो नियुक्त व्यक्ति पृष्ठांकन प्रपत्र को भरें जिस पर नियुक्त व्यक्ति तथा पॉलिसी धारक द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षर किए जाएं तथा इसे समनुदेशन प्रपत्र के नोटिस के साथ संलग्न किया जाए।

समनुदेशिती का ब्यौरा: (*समनुदेशिती की पैन कार्ड की प्रति अनिवार्य रूप से अपेक्षित है)

(निम्नलिखित ब्यौरा अनिवार्य है यदि किसी व्यक्ति को पूर्ण समनुदेशन किया जाता है और ऐसा समनुदेशन किसी कम्पनी/न्यास/ संस्थान को नहीं किया गया है)

- | | | | | |
|-----------------|--|---|--|--------------------------------|
| पेशा : | <input type="checkbox"/> वेतनभोगी | <input type="checkbox"/> कृषक | <input type="checkbox"/> गृहिणी | <input type="checkbox"/> छात्र |
| | <input type="checkbox"/> सेवा निवृत्त/पेंशन भोगी | <input type="checkbox"/> कारोबार मालिक | <input type="checkbox"/> स्वनियोजित | <input type="checkbox"/> अन्य |
| पहचान साक्ष्य: | <input type="checkbox"/> पासपोर्ट | <input type="checkbox"/> पैन कार्ड | <input type="checkbox"/> मतदाता पहचान पत्र | <input type="checkbox"/> अन्य |
| पते का साक्ष्य: | <input type="checkbox"/> टेलीफोन बिल | <input type="checkbox"/> राशन कार्ड | <input type="checkbox"/> बिजली का बिल | <input type="checkbox"/> अन्य |
| आप: | <input type="checkbox"/> निवासी भारतीय | <input type="checkbox"/> अनिवासी भारतीय | <input type="checkbox"/> अन्य | |

संपर्क संख्या : घर: _____ कार्यालय: _____ मोबाइल _____

ई-मेल आईडी : _____

पता: _____

केवाईसी/एएमएल दस्तावेजों की सूची संलग्न है जिसे समनुदेशन की स्थिति में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

तारीख: _____

साक्षी द्वारा घोषणा

समनुदेशक ने इस पृष्ठांकन प्रपत्र को विधिवत रूप से निष्पादित किया है तथा समनुदेशक और समनुदेशिती के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान यहां उपरोक्त उल्लिखित तारीख और स्थान पर किए गये थे।

साक्षी का पूरा नाम : श्री/ श्रीमती .: _____
 (पहला नाम) (मध्य नाम) (अंतिम नाम)

साक्षी का पता: _____

मातृ भाषा संबंधी घोषणा

इसे तब प्रस्तुत किया जाना चाहिए जब इस प्रपत्र पर मातृ भाषा में हस्ताक्षर किए जाते हैं या जब समनुदेशक / समनुदेशिती द्वारा अंगूठे का निशान लगाया जाता है।

मैंने समनुदेशन की विषय सामग्री को समनुदेशिती को _____ (भाषा) में उसकी / उनके विकल्प के अनुसार समझा दिया है तथा समनुदेशक द्वारा विषय वस्तु को पूरी तरह से समझ लिया है।

घोषणाकर्ता का नाम: _____
 घोषणा करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर

स्थान: _____ तारीख: | D | D | M | M | Y | Y | Y | Y |

निर्देश

- जहां पर समनुदेशिती व्यक्ति है, तो उसका पूरा नाम, आयु, रिश्ता तथा पते का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।
- समनुदेशन के नोटिस को मूल पॉलिसी दस्तावेज के साथ अवश्य संलग्न किया जाना चाहिए।

✓ पूर्ण समनुदेशन:

यह समनुदेशक को सभी अधिकारों, हितों, शीर्षक तथा बाध्यताओं का बिना शर्त अंतरण है। यदि समनुदेशक द्वारा पॉलिसी का पूर्ण समनुदेशन किया जाता है और यदि समनुदेशिती भावी प्रीमियम अदा करने का वचन देता है, तो समनुदेशिती 'पॉलिसी धारक' बन जाता है। पॉलिसी के अंतर्गत सभी अधिकार तथा बाध्यताओं को समनुदेशिती को अंतरित कर दिया जाता है। पूर्ण समनुदेशन की स्थिति में नामांकन स्वचालित रूप से रद्द हो जाता है। समनुदेशिती से नामांकन प्रदान करने के लिए कहा जाता है।

सशर्त समनुदेशन: का आशय समनुदेशिती को अधिकारों और बाध्यताओं का अंतरण, समनुदेशन के नियमों और शर्तों के अध्यक्षीन है।

१. कम्पनी के विरुद्ध यह समनुदेशन तब तक प्रचालनाधीन और प्रभावी नहीं होता है जब तक कि समनुदेशन प्रपत्र को विधिवत रूप से पूरा करके कम्पनी को प्रदान नहीं कर दिया जाता है। समनुदेशन को प्रभावी बनाने के लिए पॉलिसी दस्तावेज को पृष्ठांकित किया जाएगा।
२. विवाहित महिला सम्पत्ति अधिनियम १८७४ के अंतर्गत जारी पॉलिसियों के लिए समनुदेशन प्रभावी नहीं होता है। समनुदेशन के निष्पादन के तत्काल बाद, फिर चाहे ऐसा पॉलिसी दस्तावेज के पृष्ठांकन के माध्यम से किया जाए या समनुदेशन विलेख के माध्यम से किया जाता है, समनुदेशन पॉलिसी /विलेख को कम्पनी के उस कार्यालय में अवश्य भेजा जाना चाहिए जिसे समनुदेशन के पंजीकरण के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है।
३. आंशिक समनुदेशन की अनुमति नहीं है। एक से अधिक पॉलिसी के लिए, कृपया पृथक समनुदेशन प्रपत्र का प्रयोग करें।
४. यदि समनुदेशिनी अवयस्क है, तो नियुक्त व्यक्ति पृष्ठांकन प्रपत्र को भरें जिस पर नियुक्त व्यक्ति तथा पॉलिसी धारक द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षर किए जाएं तथा इसे समनुदेशन प्रपत्र के नोटिस के साथ संलग्न किया जाए।
५. समनुदेशन के नियमों और शर्तों के अधीन, समनुदेशन के पंजीकरण के बाद कम्पनी समनुदेशिनी के नाम को नोटिस में इस प्रकार से अभिचिन्हित करती है कि जैसा कि पॉलिसी के अंतर्गत लाभों के लिए हकदार व्यक्ति होता है।
६. यदि समनुदेशन किसी वित्तीय संस्थान/बैंक/ वित्त कम्पनी या अन्य निगमित निकाय के पक्ष में हैं, तो प्रतिफल का मान्य साक्ष्य और प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के स्टैम्प और हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिए। कम्पनी द्वारा समनुदेशन की विधिमान्यता या मान्यता के संबंध में कोई राय व्यक्त नहीं की जाती है। यदि आवश्यकता होती है तो कम्पनी द्वारा और अधिक दस्तावेजों /ब्यौरे का अनुरोध किया जा सकता है।
७. साक्षी और घोषणाकर्ता अलग-अलग व्यक्ति होने चाहिए तथा वे मान्य संविदा करने में योग्य होने चाहिए।

अस्वीकरण

“फार्मेट की विषय-सामग्री को समझने से संबंधित किसी असहमति की स्थिति में, आईआरडीआई परिपत्र संख्या: आईआरडीआई/लाइफ/लाइफ काउंसिल/2013/73 दिनांक 29 अप्रैल 2014 के अनुसार हिन्दी/ अंग्रेजी में मुद्रित फार्मेट (जैसी भी स्थिति हो) को लागू माना जाएगा।”